नजीर मोहम्मद बनाम पीर मोहम्मद वगै0

अपील संख्या : 2023/145

03.08.2023	विद्वान अधिवक्ता अपीलांट श्री बृज बिहारी गोचर की ओर यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद के प्रकरण संख्या 27/2023 में पारित आदेश दिनांक 17.07.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अंतरिम स्थगन हेतु सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे स्थगन प्रार्थना–पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उक्त आदेश दिनांक 17.07.2023 पारित किया गया है और यदि रेस्पोडेन्टगण अपने मंसूबे में कामयाब हो गये तो प्रार्थी/अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई होना संभव नहीं होगा तथा प्रार्थी/अपीलांट का अपील करना ही व्यर्थ हो जावेगा। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.2023 की कार्यवाही को स्थगित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.2023 की कार्यवाही को अन्तरिम रूप से स्थगित किये जाने का निवेदन किया। हमने अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17.07.2023 का है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17.07.2023 में प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अपीलांट व अन्य अप्रार्थीगण के विरूद्ध विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे जाने हेतु अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है। प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.08.2023 नियत की गई है। साथ ही अप्रार्थीगण को जरिये रजि0 एडी0 सम्मन नोटिस से तलब किया गया है। चूंकि प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 18.08.2023 नियत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि को अन्तरिम रूप से संरक्षित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति को बनाये रखे जाने का जो आदेश पारित

किया गया है वह अन्तरिम आदेश की प्रकृति का है। अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय के अन्तरिम आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अपीलांट को सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अंतिम रूप से निस्तारण करवाना चाहिए। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण का शीघ्र निस्तारण नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को सी. पी.सी.के प्रावधानों की पालना करते हुए नियमानुसार उभयपक्षकारान को सुनकर यथाशीघ्र अंतिम रूप से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का निस्तारण करने हेतु आदेशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट इसी स्तर पर निर्णित की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वह उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए इस आदेश के संज्ञान में आने पर प्रकरण का यथाशीघ्र एक माह के भीतर निस्तारण करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो तथा फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश की सत्यप्रति अधीनस्थ न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रेषित की जावे। आदेश आज दिनांक 03.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा